

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना,  
लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर  
दूरभाष व फैक्स न. 0141-2223572  
E-Mail-dmhsesi@yahoo.co.in/esis-rj@esic.nic.in  
Website- http://www.health.rajasthan.gov.in/esi

क्रमांक:- प/जी-1/औ.स./ईएसआई/2020/694

दिनांक:- 03-04-2020

कार्यालय आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक:- प/जी-1/औ.स./ईएसआई/2020/692 दिनांक 27.03.2020 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में इस योजना के अधीन संचालित समस्त चिकित्सालयों एवं औषधालयों में ओपीडी एक पारी में प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक आगामी आदेशों तक संचालित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे, की निरन्तरता में इस योजना के अधीन संचालित समस्त चिकित्सालयों एवं औषधालयों में ओपीडी एक पारी में प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक आगामी आदेशों तक संचालित किये जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त जारी किये गये हैं।

(डॉ. वी. के. माथुर)  
निदेशक एवं पदेन उपसचिव

क्रमांक:- प/जी-1/औ.स./ईएसआई/2020/694

दिनांक:- 03-04-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं ई.एस.आई विभाग राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री महोदय श्रम एवं नियोजन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव श्रीमान शासन सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
4. अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भीलवाडा/जोधपुर/कोटा एवं पाली राजस्थान।
5. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय राजस्थान।
6. समस्त शाखा प्रभारी इस निदेशालय।
7. आदेश पत्रावली।

(डॉ. वी. के. माथुर)  
निदेशक एवं पदेन उपसचिव